उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

सार्वजनिक वितरण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई, 2000

संकल्प

सं० टी० एफ० सी०–14/99–वाल्यूम–3 :—फार्म और वाणिज्यिक स्तर पर खाद्यान्नों की भण्डारण और मार्गस्थ हानियों को कम करने, भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किए गए खाद्यान्नों की हैण्डलिंग, भण्डारण और ढुलाई की प्रणाली को आधुनिक बनाने और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन लाने के लिए सरकार ने खाद्यान्नों की हैण्डलिंग, संग्रह और ढुलाई के लिए एक राष्ट्रीय नीति का अनुमोदन किया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

1. नीति के उद्देश्य

इस नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है :—

(1) फार्म स्तर पर खाद्यान्न के कुल उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत भाग रखा जाता है और इसका उपभोग किया जाता है। इसी फार्म स्तर पर भण्डारण और मार्गस्थ हानियों में कमी करना और किसानों को वैज्ञानिक भण्डारण विधियाँ अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी करना।

(2) भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किए गए खाद्यान्नों की हैण्डलिंग, भण्डारण और ढुलाई की प्रणाली को आधुनिक बनाना।

(3) देश में खाद्यान्नों कीर बल्क हैण्डलिंग, भण्डारण औ ढुलाई शुरू करने के लिए बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करवाना और इसके प्रचालन के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी स्तर पर प्रयासों में तेजी लाना और संसाधनों का इस्तेमाल करना।

2. घरेलू भण्डारण के लिए नीति

2.1 चूंकि घरों में कुल उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत भाग रखा जाता है और अनुपयुक्त भण्डारण के कारण फार्म स्तर पर खाद्यान्नों की काफी मात्रा बर्बाद हो जाती है इसलिए फार्म स्तर पर भण्डारण मानकों में सुधार करने पर प्रमुख ध्यान देना होगा। वर्तमान में, इस जरूरत को लक्षित करने वाली एकमात्र योजना अन्न सुरक्षा अभियान है जो धात्विक और गैर-धात्विक भण्डारण ढांचों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाता है और भण्डारण की वैज्ञानिक विधियों को अपनाने के लिए किसानों को शिक्षित करता है। योजना का उद्देश्य गैर-धात्विक परम्परागत भण्डारण ढांचों का विकास करना/इनमें सुधार करना भी है।

2.2 इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहनों की आवश्यकता है :—

(i) वैज्ञानिक फार्म स्तर पर धात्विक और गैर-धात्विक भण्डारण ढांचों को बढ़ावा देना और उपयुक्त वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ सामुदायिक स्तर पर आर० सी० सी० बिनों के निर्माण के लिए योजना शुरू करना।

(ii) खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भण्डारण और परिरक्षण तथा किसानों के बीच उनके प्रचार के लिए अन्न सुरक्षा अभियान के मौजूदा अनुसंधान और प्रशिक्षण घटकों को सुदृढ़ बनाना।

3. अनाज की बल्क हैण्डलिंग ढांचे का आधुनिकीकरण और उच्च श्रेणीकरण

3.1 भण्डारण हानियों को कम से कम करने के लिये भारत में समन्वित बल्क हैण्डलिंग, भण्डारण और ढुलाई के ढांचे का विकास करना और इसका आधुनिकीकरण करना आवश्यक है। नीति निम्नलिखित पर केन्द्रित होनी चाहिए :—

(i) फार्म और मण्डी स्तर पर यंत्रीकृत कटाई, सफाई और शुष्कन को बढ़ावा देना।

(ii) विशेष रूप से डिजाइन किए गए ट्रकों द्वारा फार्म से साइलो तक अनाज की ढुलाई करना।

(iii) वसूली और वितरण केन्द्रों पर साइलों की शृंखला का निर्माण करना।

(iv) विशेष रूप से डिजाइन किए गए ट्रकों/रेल वैगनों (टॉप फिलिंग और बॉटम डिस्चार्ज सुविधा सहित) "डेडीकेटिड" रेल गाड़ियों द्वारा साइलो से रेल शीर्षों तक और उसके बाद पूर्व निर्धारित गंतव्य तक अनाज की ढुलाई।

(v) खाद्यान्न भण्डारण की अवसंरचना के रूप में घोषणा करना।

3.2 भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए गेहू के लिए विशाल क्षमता के साइलो सहित समन्वित बल्क हैण्डलिंग सुविधाएं, जिनमें गुणवत्ता नियंत्रण के लिए परीक्षण सुविधाएं होंगी, उत्पादक और उपभोक्ता क्षेत्रों तथा कुछेक पत्तन शहरों में पहचान किए गए लगभग 20 केन्द्रीय स्थलों पर सृजित की जाएगी। इन केन्द्रों तक बल्क ढुलाई के ढांचे सहित इन सुविधाओं का सृजन भारतीय खाद्य निगम के समग्र सहयोग के तहत निजी क्षेत्र में किया जाएगा और इसका रख-रखाव भी निजी क्षेत्र द्वारा किया जायेगा। "टाप फिलिंग" और "बॉटम डिस्चार्ज" विशेष डिब्बों की डिजाइन के बारे में निर्णय रेल मंत्रालय से परामर्श करते हुए लिया जायेगा। इन स्थलों और सर्किटों, जहां इन डिब्बों का इस्तेमाल किया जायेगा, का निर्णय लेते समय रेल मंत्रालय से भी परामर्श किया जायेगा। भारतीय खाद्य निगम पहले दस वर्षों के लिए इन सुविधाओं की 100 प्रतिशत तक उपयोग और अगले 10 वर्षों के लिए 75 प्रतिशत तक उपयोग की गारन्टी देगा। इन बिन्दुओं से खाद्यान्नों की अनुषंगी ढुलाई विभिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण केन्द्रीय स्थलों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्वामित्व में रखे और रख-रखाव किये जाने वाले लगभग 500 गोदामों को बोरियों के रूप में की जायेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खुदरा वितरण के लिये उपभोक्ता केन्द्रों तक आगे ढुलाई राज्य सरकारों द्वारा की जायेगी।

3.3 निजी क्षेत्र को भण्डारण क्षमताओं का विकास करने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा जिनमें वे सरकारी एजेंसियों द्वारा वसूल खाद्यान्नों का भण्डारण और इनका रख-रखाव करेंगे जिनके लिये वे भण्डारण प्रभारों के लिए पात्र होंगे

3.4 निम्नलिखित के माध्यम से समन्वित बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई के लिए ढांचे के विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी मांगी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

(i) "बिल्ड–ऑन–आपरेट–ट्रांसफर", "बिल्ड–ऑन–लीज–ट्रांसफर", "बिल्ड–ऑन–आपरेट", "लीज–डेवलप–आपरेट", "ज्वाइंट वेंचर" आदि उपाय

(ii) निजी उद्यमियों द्वारा सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से निधियों का सृजन।

(iii) 100 प्रतिशत तक सीधे बाह्य निवेश के लिए स्वत: मंजूरी।

(iv) वित्तीय संस्थाओं, नाबार्ड, बाहरी वाणिज्यिक उधारियों से ऋण।

(v) राजकोषीय प्रोत्साहन जैसाकि नीचे दिए गए हैं :—

(क) पहले पांच वर्षों के लिए आयकर के प्रयोजन के लिए लाभ में 100 प्रतिशत कटौती और अगले पांच वर्षों के लिए लाभ में 30 प्रतिशत कटौती।

(ख) ऐसी परियोजनाओं को वित्त पोषित करने वाले वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त लाभों में 40 प्रतिशत लाभ की कटौती करना जैसा कि अन्य बातों के साथ-साथ कृषिगत विकास के लिए दीर्घकालीन वित्त पोषण करने के कार्य में लगे वित्तीय निगमों के लिए व्यवस्था की गई है।

(ग) भारत में न बनाई गई वस्तुओं के लिए मामला-दर-मामला आधार सीमा शुल्क से छूट प्रदान करना बशर्ते ऐसे उपकरणों की सूची अग्रिम रूप से प्रस्तुत की जाए।

4. पत्तनों पर अवसंरचनात्मक ढांचे संबंधी सुविधाओं का विकास

परंपरागत रूप से भारत खाद्यान्नों का आयात करता रहा है। अत: पत्तन संबंधी अवसंरचनात्मक सुविधाएं केवल अनाज के उतरान प्रचार के लिए ही है, निर्यात के लिए

हैं। उतरान प्रचालन के लिए सामान्य रूप से जहाज के गियर का उपयोग किया जाता है। जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर उपलब्ध अद्यतन आंतरिक सुविधाएं केवल आयात के प्रयोजन के लिए ही सृजित की गई हैं। बड़े पत्तनों पर सामान्य माल उतारने के लिए बर्थ की कमी है और पत्तन पर खाद्यान्नों के भंडारण के लिए भांडागारण सुविधाएं बहुत कम उपलब्ध हैं। निर्यात के प्रयोजनार्थ खाद्यान्नों हेतु यथा समय उचित पत्तन की सुविधाएं सृजित करने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करनी होंगी, जिसके लिए निम्नलिखित कार्यवाही अपेक्षित है :—

(i) खाद्यान्नों निर्यात हेतु ऐसे पत्तनों की पहचान की जाए जिन्हें विकसित किया जा सके। खाद्यान्नों के वितरण हेतु खाद्यान्नों के यातायात का वितरण ऐसे अपरंपरागत पत्तनों पर किया जाए जहां पर अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है जैसे नया मैंगलोर एवं कोचीन पत्तन पर है।

(ii) पत्तनों पर पत्तनों द्वारा स्वयं अथवा निजी भागीदारी से और अधिक सामान्य माल चढ़ाने-उतारने के लिए सुविधाओं का विकास करना

(iii) विकास/जल सीमाएं तथा बर्थ उन उपयोगकर्ताओं को लीज पर दी जाएं जो अपने लिए सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें : और

(iv) चुनिंदा पत्तनों पर केवल अनाज के हैंडलिंग के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित करना।

8. केन्द्रीय सरकार की भूमिका

केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि

(क) एक अनुमोदन बोर्ड की स्थापना करे जो अनाज के बल्क हैंडलिंग, ढुलाई और भंडारण की परियोजनाओं को शीघ्र अनुमोदित करने हेतु सक्षम हो।

(ख) तकनीकी/वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ द्विपक्षीय समझौता करें।

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए स्टाक नियंत्रण आदेश/संचलन नियंत्रण आदेशों को समाप्त करने के लिए आवश्यक वैधानिक एवं प्रशासनिक कदम उठाएं।

(घ) सफाई, सुखाने हेतु, भंडारण एवं संचलन आदि की दरें निश्चित करने/विनियमित करने मौजूदा स्वतंत्र विनियामक कार्यप्रणाली की सेवाओं का उपयोग करें।

(ङ) अनाज के बल्क ढुलाई के लिए रेलवे की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

(च) विनिमय भंडारण रसीद प्रणाली को इस प्रकार प्रोन्नत करना जिससे किसान इन रसीदों के बदले बैंक से अपनी आवश्यकतानुसार कार्यकारी पूंजी/अल्पावधि आवश्यकताओं हेतु राशि उधार ले सकें एवं किसान को अपना अनाज तुरंत बाजार में न बेचना पड़े और

(छ) निर्वात अनाज भंडारण प्रौद्योगिकी जैसी वैकल्पिक भंडारण तकनीकियों के विकास के लिए अनुसंधान प्रोन्नत करना जिससे अनाज के भंडारण की समय सीमा बढ़ाई जा सके तथा निर्वात पैकों में अनाज का निर्यात किया जा सके।

9 राज्य सरकार की भूमिका :

राज्य सरकारों को चाहिए कि

(क) जनहित के प्रयोजन जैसी विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण कराना और

(ख) पानी, विद्युत मार्ग आदि जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग, सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों के मुख्य सचिव, भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम के अध्यक्ष और महाप्रबंधक को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी० के० बल
संयुक्त सचिव, भारत सरकार